1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 650/2026, dt. 10.03.2026, Rahul Paswan & eight others. Vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–650/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. राहुल पासवान वल्द स्व0 जगदेव पासवान उर्फ शंभु पासवान उम्र 26 वर्ष

2. मनोज पासवान, वल्द सहदेव पासवान उम्र 47 वर्ष
3. प्रतीमा देवी वल्द संजय पासवान उम्र 40 वर्ष
4. सुनीता देवी पति रूपबास पासवान उम्र 35 वर्ष
5. मंजू देवी पति चुन्नु पासवान उम्र 43 वर्ष
6. साहेब कुमार उर्फ ऋतिक कुमार वल्द संजय पासवान उम्र 23 वर्ष
7. चुन्नु पासवान वल्द सहदेव पासवान उम्र 44 वर्ष
8. अभिषेक पासवान वल्द मनोज पासवान उम्र 25 वर्ष
9. बबीता देवी पति मनोज पासवान उम्र 42 वर्ष

ग्राम–मन्नानपुर, थाना–कल्याणपुर ,सुगौली, जिला– पूर्वी चम्पारण...आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री डॉ0 अधीर कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक
सूचक की ओर से :– श्री राजकिशोर बैठा, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

10.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्तगण राहुल पासवान, मनोज पासवान, प्रतीमा देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी, साहेब कुमार उर्फ ऋतिक कुमार, चुन्नु पासवान, अभिषेक पासवान एवं बबीता देवी की ओर से कल्याणपुर थाना कांड संख्या– 437/2025, धारा– 127(2), 115(2), 118(1),117(2), 74, 109, 303(2), 351(2), 352/3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचिका चंदा देवी का कथन है कि दिनांक 01.12.2025 को पुजाई में खाना नहीं खाने से नाराज होकर मंजय पासवान, मनोज पासवान, अभिषेक कुमार, पंकज पासवान, साहेब कुमार, कल्पना

कुमारी, बबीता देवी उसके दरवाजा पर छेकाई पुजाई का भोज नहीं खाने से नाराज होकर गालीगलौज देने लगे। गाली देने से मना करने पर उसका बाल पकड़ कर जमीन पर पटक कर जान मारने की नियत से गर्दन मड़ोड़ने लगा तथा लाता, मुक्का, फैट से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बीच–बचाव करने आई उसकी लड़की गुंजा कुमारी के ऑख पर खुरपी से मारकर काट दिया, उसकी लड़की लहुलुहान हो गई तथा बाएं ऑख पर भी ईंट से मारकर जख्मी कर दिया, इसी बीच कल्याणपुर सरकारी हॉस्पीटल से ईलाज कराई तथा ईलाज कराकर दिनांक 02.12.2025 को घर पहुॅची तो राहुल पासवान, शंभु पासवान, चुन्नु पासवान, प्रतिमा देवी, सुनीता देवी, मंजु देवी छेंकाई पुजाई में नहीं खाना खाने तथा थाना में आवेदन देने से नाराज होकर दरवाजा पर चढ़कर गाली देने लगे। गाली देने से मना करने पर साजिश के तहत राहुल पासवान अपने हाथ में लिए धारदार खुखरी से जान मारने की नियत से उसके सर पर काट दिया। वह खून से लथपथ हो गई। इसी बीच उसके भैसुर अमीर पासवान बीच बचाव करने आए तो अभिषेक कुमार पांजा में पकड़ लिया तथा ऋतिक कुमार उर्फ साहेब कुमार अपने हाथ में लिए टंगुली से सर पर जान मारने की नियत से काट दिया। उसके भैसुर भी खून से लथपथ हो गए। इसी बीच उसके पति बाहर से आकर सिरहनी के नीचे से पच्चास हजार रूपया घर में घुसकर मनोज पासवान चोरी की नियत से निकाल लिया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में कोई अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उन्हें गलत नियत से इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। प्राथमिकी चार दिन के विलम्ब से दर्ज कराया गया है। उभय पक्ष एक ही गांव के है, उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण इस मामले में आरोपित किया गया है। इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुआ था। धारा– 109, 74, 118(1) एवं 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है।

धारा– 109 बी.एन.एस. का आरोप इस मामले में आकर्षित नहीं होता है। आवेदक का किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोई मंशा नहीं थी। इसलिए धारा–74 बी.एन.एस. का आरोप इस मामले में नहीं बनता है। धारा– 303(2) बी.एन.एस. का आरोप अलंकार के रूप में जोड़ा गया है। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी हैं

विद्वान लोक अभियोजक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका, उसकी पुत्री एवं उसके भैसूर के साथ खुरपी, खुखरी एवं टंगुली से सर पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी के साथ सूचिका चंदा देवी, पन्नालाल पासवान एवं अमीर पासवान का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में चंदा देवी एवं पन्नालाल पासवान के शरीर में दर्द होना पाया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का होना अंकित है। जख्मी अमीर पासवान के सर पर त्वचा की गहराई तक 1”x 1/6” का कटा हुआ जख्म पाया जाना बताया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का होना अंकित है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया हैं तथा उभय पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित एवं अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका– 3 एवं कांड दैनिकी की कंडिका– 24 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, आवेदकगण का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति, उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण राहुल पासवान, मनोज पासवान, प्रतीमा देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी, साहेब कुमार उर्फ ऋतिक कुमार, चुन्नु पासवान, अभिषेक

पासवान एवं बबीता देवी द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसर्मपण/गिरफ्तारी की दशा में मो0 10000/—रु. के बंध—पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा— 482 (2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेगे।

लेखापित

ह0/—
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 10.03.2026